संख्या-03/2019/01/18-4-2019-6(विविध)/16टी0सी0

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन,
लखनऊ।

सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 07जनवरी,2019**

विषय:उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन लखनऊ में निदेशक/सचिव पद पर सीधी भर्ती हेतु शासनादेश दिनांक 22.12.2016 द्वारा निर्गत कार्यकारी आदेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-179/यू0पी0आई0डी0/2018-19, दिनांक 16-8-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन लखनऊ में निदेशक/सचिव पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-2139/18-4-16-6(विविध)/16 टी0सी0, दिनांक 22.12.2016 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन लखनऊ में निदेशक/सचिव पद पर भर्ती हेतु शासनादेश संख्या-2139/18-4-16-6(विविध)/16टी0सी0 दिनांक 22.12.2016 द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था।	**उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन लखनऊ में निदेशक/ सचिव पद पर भर्ती हेतु संशोधित व्यवस्था।**
अर्हता-	**अर्हता-**
(1) भारतीय नागरिक हो।	**(1) भारतीय नागरिक हो।**
(2) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन/ नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी/इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ क्राफ्ट एण्ड डिजाइन/इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी/क्राफ्ट डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट श्रीनगर/ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा व अन्य ख्याति प्राप्त संस्थाओं से डिजाइन क्षेत्र में परास्नातक डिग्री/डिप्लोमा अथवा समकक्ष (डिजाइन क्षेत्र में न्यूनतम 02 वर्षीय पी0जी0 डिप्लोमा) **अथवा** **विधि द्वारा स्थापित किसी ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिजाइन, कला अथवा शिल्प क्षेत्र**	**यथावत।** **यथावत।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में परास्नातक डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता।	
(3) विधि द्वारा स्थापित किसी ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिजाइन, शिल्प अथवा कला क्षेत्र में 20 वर्ष का कार्य का अनुभव।	**(3) विधि द्वारा स्थापित किसी ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिजाइन, शिल्प अथवा कला क्षेत्र में 15 वर्ष का कार्य का अनुभव।**
(4) आयु -विज्ञापन की तिथि को आवेदक की अधिकतम आयु 57 वर्ष होनी चाहिए।	**(4) आयु -विज्ञापन की तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 45 वर्ष तथा अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए।**
(5) पात्रता की अन्य शर्तो व योग्यता के समान होने की दशा में ऐसे अथ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, जिसने भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी संस्थान में डिजाइन हस्तशिल्प अथवा कला क्षेत्र में श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारी के रूप में कार्य किया हो तथा उसको इस क्षेत्र की विशिष्ट जानकारी हो। **अथवा** **अभ्यर्थी को किसी ख्याति प्राप्त संस्थान जैसे- नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन/नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फैशन एण्ड टेक्नोलॉजी/इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ क्राफ्ट एण्ड डिजाइन/इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी अथवा समकक्ष संस्थानों में शिक्षण /अनुसंधान का अनुभव हो।**	**यथावत।** **यथावत।**
(6) निदेशक/सचिव के पद का वेतनमान रू0 37400-67000 (ग्रेड पे-8700)	**यथावत।**
शासनादेश संख्या 2139/18-4-2016-6(विविध)/16 टी0सी0, दिनांक 22.12.2016 के बिन्दु 'ख'-1 में यह उल्लिखित है कि निदेशक/सचिव के पद पर चयन हेतु देश के कम से कम तीन प्रमुख समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी भाषा) में विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। आवेदन पत्रों की प्राप्ति हेतु न्यूनतम तीन सप्ताह का समय प्रदान किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग निम्न समिति द्वारा की जायेगी:- **1. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन/निदेशक, यू0पी0आई0डी0 -अध्यक्ष** **2. निदेशक, एन0आई0डी0 का प्रतिनिधि- सदस्य** **3. निदेशक, आई0आई0टी0 कानपुर का प्रतिनिधि-सदस्य** **4.निदेशक, उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन नोयडा का प्रतिनिधि-सदस्य**	**यथावत।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5.उपायुक्त उद्योग, जि0उ0एवं उ0प्रो0 केन्द्र, लखनऊ/ नोडल अधिकारी, यू0पी0आई0डी0-सदस्य सचिव 2-उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 22.12.2016 के बिन्दु संख्या-2 में स्क्रीनिंग के उपरान्त उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों के चयन पर निम्न समिति द्वारा शासन की निर्धारित व्यवस्थानुसार साक्षात्कार के माध्यम से निदेशक/सचिव के पद पर चयन की कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था है:- (1)-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त - अध्यक्ष (2)-प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग - सदस्य (3)-प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग -सदस्य (4)-अध्यक्ष, यू0पी0आई0डी0 - विशेषज्ञ सदस्य (5)-निदेशक, एन0आई0डी0 अहमदाबाद अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो प्रोफेसर से अन्यून हो - विशेषज्ञ सदस्य (6)-निदेशक, आई0आई0टी0 कानपुर अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो प्रोफेसर से अन्यून हो - विशेषज्ञ सदस्य (7)-आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर - सदस्य सचिव	शासनादेश दिनांक 22.12.2016 के बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित पूर्ववर्ती चयन समिति को यथावत् बनाये रखते हुए उक्त चयन समिति में महा निदेशक, एन0आई0एफ0टी0 (निफ्ट), नई दिल्ली अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो प्रोफेसर से अन्यून हो, को भी विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।
<u>अन्य विवरण</u> (1) निदेशक/सचिव संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा तीन वर्षो के टेन्योर पर नियुक्त किया जाएगा।	यथावत।
(2) निदेशक/सचिव का चयन खुले विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग के उपरान्त निर्धारित चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।	यथावत।
(3) विज्ञापन की अवधि न्यूनतम तीन सप्ताह रखी जायेगी।	यथावत।
(4) विज्ञापन के माध्यम से यदि अपेक्षित संख्या व अर्हता के आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के माध्यम से उक्त पद पर नियुक्ति किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।	यथावत।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन लखनऊ में निदेशक/सचिव व अन्य पद पर भर्ती हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 22.12.2016 में किसी प्राविधान का संशोधन, परिमार्जन तथा स्पष्टीकरण मा0 मुख्यमंत्री जी की अनुमति से किया जा सकेगा।

4. शासनादेश संख्या-2139/18-4-2016-6(विविध)/16टी0सी0, दिनांक 22.12.2016 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

5. कृपया, उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

संख्या-01/(1)/18-4-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-अध्यक्ष, उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन लखनऊ।
3-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव कार्मिक, वित्त, न्याय एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5-महानिदेशक निफ्ट नई दिल्ली/निदेशक आई0आई0टी0 कानपुर/निदेशक, एन0आई0डी0 अहमदाबाद ।
6- आयुक्त् एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
7-नोडल अधिकारी, उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन लखनऊ।
8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।